आदेश ब इजलास राजन विशाल आई॰ए॰एस॰ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 298/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच.डी.बी.फाईनेन्सिएल सर्विसेज लि. रजिस्टर्ड कार्यालय राधिका, सैकिण्ड फ्लोर, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380009 एवं शाखा कार्यालय 3, पार्क स्ट्रीट, प्रथम मंजिल, पिंक सिटी पेट्रोल पंप के सामने, बनीपार्क, जयपुर, राज.

– प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स स्टार टेलीकॉम,
   पता– 1. बावरी गेट, लुहारो का मौहल्ला, चौमूं, जयपुर,, राजस्थान।
   पता– 2. वार्ड नम्बर 19, भूमि विकास बैंक के सामने, नगर पालिका, चौमूं, जयपुर, राजस्थान।
2. सिकन्दर अगवान,
3. कमालुद्दीन लोहार,
4. श्रीमती सलमा एम.,
   पताः– वार्ड नम्बर 24, ग्वारियो की मोरी, बैंक ऑफ बडौदा वाली गली, चौमूं, जयपुर, राजस्थान।

अप्रार्थीगण/ऋणी एवं गारन्टर

Application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :–

1. श्री हितेश सैन अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से

आदेश

दिनांक 22.02.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.12.2019 पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी कमालुद्दीन लोहार के अपने स्वामित्व की सम्पत्ति वार्ड नम्बर 20, ग्वारियो की मोरी, भूमि विकास बैंक के पास, सीकर रोड, चौमूं, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 160.20 वर्गगज को बंधक कर कुल 20,00,000/–रूपये शब्देन बीस लाख रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करनें में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करनें पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली, 05 अगस्त 2016 को सरफेसी अधिनियम–2002 के तहत वित्तीय संस्था के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 20,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 21,61,259.41/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.06.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

6. अतः **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी कमालुद्दीन लोहार के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति, वार्ड नम्बर 20, ग्वारियों की मोरी, भूमि विकास बैंक के पास, सीकर रोड, चौमू, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 160.20 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति सबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु सबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक 22.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रजनी विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर